वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 14.12.2023 का कार्यवृत्त

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून की 22वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 को समय प्रातः 11.30 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री सुधीर कुमार सिंह, अपर सचिव ,न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री ब्योमकेश दूबे, उप–सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उपसचिव वित्त ,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री श्रीप्रकाश तिवारी उपसचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
06	डॉ0 डी0 पी0 गैरोला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
07	श्रीमती मीना तिवारी, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
08	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	आमंत्रित सदस्य
09	डॉ0 वी0 के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय
बिन्दु संख्या 01	विश्वविद्यालय के सभी परिसर संस्थानों के निदेशक के लिये शासकीय आवास सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में निदेशक हेतु किराये पर एक सुसज्जित आवास की व्यवस्था इस प्रतिबंध के साथ की जानी प्रस्तावित है कि सम्बन्धित के नाम कोई अन्य शासकीय/विभागीय आवास आवंटित न हो । इस हेतु मासिक किराये के रूप रू0 12000/– से रू0 15000/– की सीमा निर्धारण किया जा सकता है। उक्त आवास उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में निदेशक को	परिसर संस्थानों में नियुक्त निदेशक को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराय जाने के दृष्टिगत मासिक किराये पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा, शासनादेश संख्या 55(1)XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15.02. 2019 को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुए लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त शासनादेश में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर सुसज्जित आवास लेकर निदेशक को उपलब्ध कराया जा सकता है। । साथ ही समिति द्वारा प्रत्येक परिसर संस्थान में निदेशक आवास

	वेतन के साथ मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।		निर्माण कराये जाने हेतु शासन स्तर से नियमानुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाने की अपेक्षा की गई।
बिन्दु संख्या 02	विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान हेतु, जहां पर पूर्व से वाहन उपलब्ध नहीं है, वहां संस्थान के प्रयोग हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 212/IX-1/2016/2011/2013 दिनांक 17.02.2023 की शर्तानुसार आउटसोर्स के आधार पर श्रेणी D-E के मानक के अनुरूप एवं स्थानीय यात्रा हेतु डीजल वाहन की स्थिति में 120 लीटर प्रतिमाह तथा पेट्रोल वाहन हेतु 140 लीटर की सीमा भी निर्धारित करते हुये वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	परिसर संस्थानों में सुचारू संचालन हेतु विभिन्न शासकीय कार्यों में सुगमता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेशानुसार वाहन सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।	इस प्रस्ताव के क्रम में वित्त नियंत्रक द्वारा मन्तव्य प्रकट किया गया कि नई वाहन नीति के अनुरूप वाहन क्रय के स्थान पर किराये पर वाहन लिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। परन्तु चर्चा उपरांत पूर्व 14वीं वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या 16 (03) पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सम्बन्धित संस्थान निदेशकों हेतु संस्थान निधि से महिन्द्रा बोलेरो (बैस मॉडल) वाहन Gem पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु संस्थान वाहन के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया एवं पूर्व के अनुमोदनानुसार लोकल में अधिकतम 140 लीटर ईंधन की खपत किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या 03	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार राज्य सेक्टर तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनुदान प्राप्त करने हेतु पृथक–पृथक एस0 एन0 ए0 खाता खोले जाने के क्रम में विश्वविद्यालय एस0एन0ए0 खाता आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में खोले जाने व सावधी जमा हेतु Utkarsh Small Finance Bank में जीरों बैलेंस पर खाता खोले जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	शासकीय ग्रांन्ट प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से एस0एन0ए0 खाते खोले जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु संख्या 04	विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान निदेशक की मांग के क्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम – 2019 के अनुपालन में नियमित निदेशक को संस्थान में योगदान की तिथि से विशेष भत्ता रू0 6750/– प्रतिमाह का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम – 2019 के अनुपालन में नियमित निदेशक को संस्थान में योगदान की तिथि से विशेष भत्ता रू0 6750/– प्रतिमाह का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम – 2019 के प्राविधानों के अनुपालन में नियमित निदेशक को संस्थान में योगदान की तिथि से विशेष भत्ता रू0 6750/– प्रतिमाह का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु संख्या 05	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय में	वाहन चालक द्वारा संस्थान समयावधि से पूर्व एवं पश्चात एवं सरकारी अवकाश अवधि में भी	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय के 06 परिसर संस्थानों के लिये सुविचारित

	कार्यरत्त वाहन चालकों की भांति निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर परिसर संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक के वाहन चालक को वित्तीय वर्ष में एक माह के अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	चालक हेतु योगदान को देखतेहुये एक माह के अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या 06	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में साईबर क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ मिलकर PG Diploma Course in Cyber Security Program संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में संचालित B.Tech Cyber Security का द्वितीय वर्ष से चौथें वर्ष तक के कतिपय विषयों को Field Experts से अध्यापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी में चल रहें B.Tech Cyber Security में द्वितीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक अध्यापन एवं शिक्षण कार्य Cyber Security के क्षेत्र में अध्यापन कार्य कराने वाली संस्था से विश्वविद्यालय व सम्बन्धित संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित कर कराया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्था को सम्बन्धित कार्य हेतु प्रति छात्र दिये जाने वाले शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) का 35 प्रतिशत सम्बन्धित संस्था को भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमादेनार्थ प्रस्तुत। विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी में चल रहें PG Diploma Course in Cyber Security (एक वर्षिय) में अध्यापन एवं शिक्षण कार्य Cyber Security के क्षेत्र में अध्यापन कार्य कराने वाली संस्था से विश्वविद्यालय व सम्बन्धित संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित कर कराया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्था को सम्बन्धित कार्य हेतु प्रति छात्र दिये जाने वाले शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) का 40 प्रतिशत + Rs. 1000 Training & Placement Charges + Rs. 500 Industrial Exposure Charges + Rs. 500 Skill Development Charges सम्बन्धित संस्था को भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमादेनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि यह पाठ्यक्रम रोजगार परक हैं जो अवश्य ही छात्रों को रोजगार प्रदान किये जाने में सहायता प्रदान करेंगें । वित्त समिति द्वारा यह पाठ्यक्रम पी0पी0पी0 मोड पर संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही इस क्रम में मा0 कुलपति स्तर से एक विषेशज्ञ समिति गठित कर प्रस्तुत प्रस्ताव में इंगित धनराशि की सीमा में उपयुक्त संस्था के साथ मिलकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उच्च स्तर (कार्यपरिषद) से भी इन पाठ्यक्रमों के इस स्वरूप में (Collaborative) संचालन हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
बिन्दु संख्या 07	18वीं वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या 18 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में दीपावली के अवसर पर विश्वविद्यालय के उपनल/आउटसोर्स/संविदा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को रू0 6500/— के मानदेय के	दीपावली के पर्व पर कार्मिकों को आर्थिक सहायता के दृष्टिगत प्रति कार्मिक रू0 6500 मानदेय भुगतान पर वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

	रूप में भुगतान की गयी कुल धनराशि रू0 4,03,000/- (रू0 चार लाख तीन हजार मात्र) पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।		
बिन्दु संख्या 08	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु परिसर संस्थानों की मांग के क्रम में अतिरिक्त बजट व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **01. टी0एच0डी0सी0,नई टिहरी।** **02. एस0आई0टी0,पिथौरागढ़** **03. डॉ0ए0पी0जे0अब्दुल कलॉम टनकपुर** **04. प्रौद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर।** **05. प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तरकाशी।** **06. प्रौद्योगिकी महिला संस्थान।**	सभी 06 परिसर संस्थानों हेतु पूर्व स्वीकृत आय-व्यय के अतिरिक्त संस्थानों की मांग के क्रम में न्यूनतम मदवार व्यय प्रस्ताव पृथक से सलंग्न कर वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।	**वित्त समिति द्वारा सभी 06 परिसर संस्थानों हेतु प्रस्तुत अनुपूरक आय-व्ययक पर संस्थानवार विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक आय-व्यय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही वित्त समिति द्वारा परिसर संस्थानों द्वारा सम्बन्धितों के पूर्व से संचालित बैंक खातों में उपलब्ध जमा धनराशि विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में हस्तांतरित नहीं किये जाने के प्रकरण पर गम्भीर अप्रसन्नता प्रकट की गयी है एवं वित्त समिति द्वारा ऐसे संस्थानों को एक अन्तिम चेतावनी पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि परिसर संस्थानों द्वारा धनराशि हंस्तांतरण न किये जाने पर विश्वविद्यालय/शासन स्तर की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित संस्थान निदेशक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें ।**
बिन्दु संख्या -09	विश्वविद्यालय में विधि परामर्शदाता तथा दो सलाहकारों (वित्तीय/तकनीकी) की नियुक्ति अनुबन्ध के अधार पर पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था पर किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। उक्त के साथ ही विधि परामर्शदाता को उपनल के अधिकारी वर्ग हेतु निर्धारित दर रू0 35000/- प्रतिमाह के आधार पर पारिश्रमिक की दरें निर्धारित की जानी प्रस्तावित है अथवा उपलब्धता की दशा में सेवानिवृत्त उपयुक्त कार्मिकों को रखे जाने हेतु प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत रखा जाना प्रस्तावित हैः- **1. एक विधि परामर्शदाता** **2. एक सलाहकार (तकनीकी)** **3. एक सलाहकार (वित्तीय)**	विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत 01 विधि परामर्शदाता तथा दो सलाहकारों (वित्तीय/तकनीकी) की नियुक्ति (Daily Visit/Sitting – 04 hours) विज्ञापन प्रकाशित कर तथा प्राप्त आवेदनों की स्कुटनी के आधार पर चयन प्रकिया आयोजित कर की जानी प्रस्तावित है। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के कोर्ट केस आदि पर विधि संगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में विधि परामर्शदाता की नितांत आवश्यकता है, जिससे विधिक आदि कार्यो पर विश्वविद्यालय द्वारा विधि संगत आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध सम्पादित की जा सके।	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा अस्थायी आधार पर स्ववित्तपोषित स्वरूप में यथाआवश्यकता आउटसोर्स के माध्यम से एक विधि तथा एक तकनीकी परामर्शदाता की सेवायें ₹ 35000/- प्रति माह पर अधिप्राप्ति नियमों में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		साथ ही विश्वविद्यालय के 06 परिसर संस्थानों के अतिरिक्त वित्तीय कार्यो सहित विश्वविद्यालय कार्यो के निष्पादन में परीक्षण/टिप्पणी आदि के लिए एक **वित्तीय सलाहकार** एवं विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद् से अनुमोदित Centre of Excellence in Cyber Security की स्थापना एवं UTU HUB के संचालन हेतु एक **सलाहकार तकनीकी** रखा जाना प्रस्तावित है। यह सलाहकार उपलब्धता के आधार पर सेवानिवृत्त उपयुक्त कार्मिकों से यथा प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत अथवा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित रू0 35000/— प्रतिमाह पर रखे जाने पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।	
बिन्दु संख्या–10	बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को महिला पॉलिटैक्निक, सुद्धोवाला से स्थानांतरित करते हुए वीर माधों सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौ0 विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किये जाने के लिए परिसर में बैंक शाखा हेतु निविदा के आधार पर भवन निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग रू0 20.00 लाख का व्यय होना अनुमानित किया गया है। प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	अवगत कराना है कि पूर्व में विश्वविद्यालय महिला पॉलिटैक्निक, सुद्धोवाला परिसर में संचालित होने दृष्टिगत बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को उक्त पॉलिटैक्निक परिसर में स्थापित किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय का अपना परिसर स्थापित हो चुका है तथा विश्वविद्यालय अपने परिसर में ही संचालित हो रहा है। अतः विश्वविद्यालय के बैंकिंग सम्बन्धी कार्यो तथा छात्रहित के दृष्टिगत बैंक ऑफ बड़ौदा की उक्त शाखा को पॉलिटैक्निक परिसर से विश्वविद्यालय परिसर में स्थानांतरित किया जाना है, जिस हेतु सम्बन्धित बैंक शाखा के लिए विश्वविद्यालय परिसर में भवन निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है।	**प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुपालन की शर्त के अधीन पूर्व से परिसर में उपलब्ध भवन को नवीकृत कर बैंक भवन के रूप में तैयार कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।**
बिन्दु संख्या–11	वीर माधों सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौ0 विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर–शिक्षणेत्तर कार्मिकों (Non Teaching Employee) को उनके द्वारा दी गयी उत्कृष्ट सेवाओं के सापेक्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष UTU EMPLOYEE OF YEAR AWARD कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के गैर–शिक्षणेत्तर तृतीय श्रेणी कार्मिक व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों में अपनी ड्यूटी, अनुशासन, व्यवहार, निष्ठा व विश्वविद्यालय कार्यो के प्रति कार्यप्रदर्शन को बढ़ायें जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में UTU EMPLOYEE OF YEAR AWARD कार्यक्रम आयोजित कराये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम के	**प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा संलग्न नियमावली के अनुसार वार्षिक आधार पर दिये जाने वाले UTU EMPLOYEE OF YEAR AWARD हेतु नामित कार्मिकों को ₹5100/– नकद धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही**

	UTU EMPLOYEE OF YEAR AWARD से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम हेतु तैयार किये गये दिशा/निर्देश, नामांकन व स्क्रीनिंग प्रारूप पटल पर प्रस्तुत है। प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	माध्यम से कार्मिकों को अपने कार्यप्रदर्शन को बेहतर बनाने तथा अपनी कमियों को ढूढंने व उन्हें दूर करने का अवसर प्राप्त होगा।	**कार्मिक का चयन सलंग्न नियमावली (सलंग्नक–1) (UTU EMPLOYEE OF YEAR GUIDELINES) के अनुसार पूर्ण निष्पक्षता के साथ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**
बिन्दु संख्या :– 12	वीर माधों सिंह भंडारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर अस्थाई सम्बद्धता के लिए आवेदन हेतु इच्छुक नवीन राजकीय संस्थानों हेतु प्रकिया शुल्क व निरीक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न्वत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। Rs. 50000/-One time | Rs. 20000/- per subject expert as per new course/new branch/seat increase + Rs. 60000/- for new course/new branch/seat increase	अवगत कराना है कि कतिपय नवीन राजकीय महाविद्यालय तकनीकी/फार्मेसी आदि पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु इच्छुक है, जिस हेतु उनके द्वारा विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है। विश्वविद्यालय में पूर्व में राजकीय महाविद्यालयों से किसी प्रकार के प्रकिया शुल्क व निरीक्षण शुल्क लिये जाने की व्यवस्था निर्धारित नही की गयी है। तत्क्रम में राजभवन, उत्तराखण्ड व उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नवीन खोले जाने वाले राजकीय महाविद्यालयों में भी भूमि, भवन, फैकल्टी स्टॉफ आदि की नियामक संस्था के मानकानुसार पूर्ती की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है, जिसमें निरीक्षण समिति के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व मानदेय का व्यय भार विश्वविद्यालय पर आना स्वभाविक है। अतः उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में निजी महाविद्यालयों की भांति राजकीय महाविद्यालयों हेतु भी प्रकिया शुल्क व निरीक्षण शुल्क का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 649 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 में राजकीय महाविद्यालयों से प्रकिया शुल्क लिये जाने हेतु व्यवस्था दी गयी है।	**प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा प्रस्तावनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया ।**
बिन्दु संख्या–13	विश्वविद्यालय को डॉ0 लीलाधर भट्ट मैमोरियल कल्याण समिति से दान में प्राप्त मारुति ईको एम्बुलेंस की सूचना वित्त समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय को एम्बुलेंस दान करने वालों को धन्यवाद देते हुये विश्वविद्यालय के**

			प्रयासों की सराहना करते हुये प्रसन्नता प्रकट की गयी ।
बिन्दु संख्या–14	विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों (उपनल/दैनिक वेतन/संविदा/आउटसोर्स) के लिये चिकित्सा बीमा की सुविधा के अन्तर्गत कार्मिक के दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अक्षमता की स्थिति में रू0 02.00 लाख की आर्थिक सहायता तथा अस्पताल में चिकित्सा सहायता हेतु रू0 01.00 लाख सम इन्र्सोयर्ड पर सैंद्वातिक सहमति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	आउटसोर्स कार्मिकों को चिकित्सा में सहयोग प्रदान किये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार कार्यवाही किये जाने पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु संख्या–15	विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में सातवां वेतनमान लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के सूचनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।	विस्तृत प्रस्ताव पृथक से पटल पर प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ–साथ अन्य सभी परिसर संस्थानों के स्ववित्तपोषित स्वरूप में संचालन के दृष्टिगत सभी की आय व व्यय की स्थिति तथा स्वीकृत एवं भरे गये पदों की स्थिति के साथ आगामी वित्त समिति में पुनः सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने एवं विश्वविद्यालय एवं संघटक/परिसर संस्थानों में शिक्षकों हेतु सातवां वेतन आयोग लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुरोध करने हेतु निर्देशित किया गया।
बिन्दु संख्या–16	विश्वविद्यालय के परिसर संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तरकाशी हेतु आवंटित भूमि की चाहरदीवारी निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम द्वारा गठित प्रारभिंक आंगणन रू0 176.12 लाख का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	परिसर संस्थान के आस–पास ग्रामीण क्षेत्र है । चाहरदीवारी न होने पर वहां निवास कर रहे स्थानीय जनता व आवारा जानवर आदि संस्थान मे घूमते रहते है, जिससे संस्थान की छवि भी धूमिल होती है। साथ ही भूमि पर अतिक्रमण का खतरा भी बना रहता है। इस प्रयोजन से ही चाहादीवारी का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है।	इस प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत कुलसचिव द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान हेतु आवंटित भूमि के सीमांकन कराये जाने के लिये DM / SDM से संस्थान के प्रभारी निदेशक द्वारा पूर्व में ही अनुरोध किया जा चुका है। शीघ्र ही आंवटित भूमि का सीमांकन कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। वित्त समिति द्वारा उत्तरकाशी संस्थान की चाहरदीवारी निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को वांछित धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 17	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों मे अध्ययनरत्त छात्रों को पढ़ाई के साथ–साथ आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में Earn while Learn योजना स्वीकृत किये जाने का प्रस्ता वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	छात्रों को आर्थिक रूप से सृदढ़ बनाने के दृष्टिग्त यह योजना लागू की गयी है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।	**प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से संलग्न विवरणानुसार (सलंग्नक–2) अनुमोदन प्रदान किया गया ।**
बिन्दु संख्या –18	विश्वविद्यालय Faculty of Technolgoy , Faculty of Pharmacy , Faculty of Management तथा महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में अध्ययनरत्त छात्रों को खेलकूद आदि की उत्तम सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत **रू0 25.00 लाख** की लागत से लॉन टेनिस कोर्ट, बास्टकेट बॉल कोर्ट एवं ओपन जिम स्थापना किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	शिक्षा के साथ–साथ छात्रों को खेलकूद गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के दृष्टिगत **रू0 25.00 लाख** की लागत से लॉन टेनिस कोर्ट, बास्टकेट बॉल कोर्ट एवं ओपन जिम स्थापना किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा प्रस्तावानुसार कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 अनुपालन कराते हुये किये जाने पर प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया ।**
बिन्दु संख्या –19	विश्वविद्यालय Faculty of Technolgoy , Faculty of Pharmacy Faculty of Management पाठ्यक्रमों हेतु आगामी वर्षो में अध्ययनर3त्त छात्रों के पठन–पाठन हेतु अतिरिक्त **60 डैस्क्टोप कम्प्यूटर** क्रय किये जाने हेतु **रू0 80.00 हजार** प्रति पी0सी0 की दर से अनुमानित **रू0 48.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	आगामी शैक्षिक सत्र में तीनों पाठ्यक्रमें मे प्रवेशित छात्रों को कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत 60 पी0सी0 क्रय किये जाने हेतु रू0 80.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटरों की विशिष्टताओं का शासनादेशानुसार तकनीकी समिति से परीक्षण कराने के उपरांत एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017/Gem के प्राविधानों, के अन्तर्गत क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या –20	विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन केंटिन के निर्माण/पुर्नसुधार हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 05.00 लाख स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय प्रांगण अध्ययनरत्त छात्रों एवं विभिन्न कार्यकलाप हेतु विश्वविद्यालय आगन्तुकों हेतु एक कैन्टीन/Café सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत केंन्टीन निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों/शिक्षकों/कर्मचारियों /अधिकारियों हेतु कैन्टीन तैयार कराये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की अधिप्राप्ति नियमों का पालन सुनिशिचित करते हुये विश्वविद्यालय स्तर से कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।**

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।</td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु संख्या –21</td>
<td>21वीं वित्त समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 17 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गयी आगणंन की पुनरीक्षित धनराशि पर स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
<table>
<tr><th>योजना का नाम</th><th>21वीं वित्त समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि</th><th>22वीं वित्त समिति हेतु प्रस्तावित धनराशि</th></tr>
<tr><td>शैक्षणिक भवन निर्माण</td><td>500.00 लाख</td><td>998.67 लाख</td></tr>
<tr><td>महिला छात्रावास निर्माण</td><td>500.00 लाख</td><td>997.52 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>1000.00 लाख</td><td>1996.19 लाख</td></tr>
</table>
अतः उक्तानुसार पुनरीक्षित धनराशि रू0 996.19 लाख पर स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत।</td>
<td>विश्वविद्यालय निधि से शैक्षणिक भवन एवं महिला छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की थी । इस स्वीकृत के क्रम मे विश्वविद्यालय के अनुरोध पर शासन द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एव निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया । कार्यदायी संस्था द्वारा इस क्रम में रू0 998.67 लाख एवं रू0 997.52 लाख के आंगणन उपलब्ध कराये गये है जो शासन को आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके है । कार्यदायी संस्था द्वारा इस क्रम में क्रमशः रू0 998.67 लाख एवं रू0 997.52 लाख के आगणंन गठित किये गये हैं अतः पूर्व स्वीकृत रू0 10.00 करोड़ के सापेक्ष अतिरिक्त रू0 996.19 लाख पर वित्त समिति से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।</td>
<td>प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत उप–सचिव, तकनीकी शिक्षा द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर सभी आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली गयी है एवं शीघ्र ही शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु शासन स्तर की स्वीकृति विश्वविद्यालय को प्रदान कर दी जायेगी।
वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय कोष से शैक्षणिक भवन एवं महिला छात्रावास निर्माण हेतु पुनरीक्षित आंगणन की धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की गयी :–
<table>
<tr><th>योजना का नाम</th><th>22वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि</th></tr>
<tr><td>शैक्षणिक भवन निर्माण</td><td>998.67 लाख</td></tr>
<tr><td>महिला छात्रावास निर्माण</td><td>997.52 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>1996.19 लाख</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु संख्या –22</td>
<td colspan="3">मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :–</td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु संख्या 01</td>
<td>परीक्षा सम्बन्धी मानदेय दरों का पुनरीक्षण प्रस्ताव निम्नवत् हैं :–
01. प्रश्नपत्रों का मॉडरेशन का मानदेय रू0 1500/– से बढ़ाकर रू0 2500/– (प्रति दिन, प्रति विशेषज्ञ) किये जाने का प्रस्ताव।
02. यू0एफ0एम0 कमेटी के सदस्यों के मानदेय 1500/– से बढ़ाकर रू0</td>
<td>पूर्व से लागू दरों पर प्रर्याप्त संख्या मे मॉडरेशन एवं यू0एफ0एम0 कमेटी हेतु आवश्यक विशेषज्ञ न मिल पाने के कारणवश मानदेय दरें पुनरीक्षित की जानी प्रस्तावित है। ताकि परीक्षा संचालन का कार्य सुगमता से कराया जा सके।</td>
<td>प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा प्रश्नपत्र मॉडरेशन हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
मॉडरेशन रू0 2500/–
UFM कमेटी रू0 2500/–
(दरें प्रति दिन, प्रति विशेषज्ञ)</td>
</tr>
</table>

	2500/– (प्रति दिन, प्रति विशेषज्ञ) किये जाने का प्रस्ताव। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।		
बिन्दु संख्या 02	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि अन्य शुल्क विश्वविद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत जमा न कराये जाने की स्थिति में संस्थानों पर प्रति दिवस के आधार पर अर्थदण्ड तथा बकाया धनराशि पर साधारण वार्षिक ब्याज दर (Simple Interest) अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	मा0 वित्त समिति को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि अन्य शुल्क विगत कई वर्षो से पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय में जमा नही कराया गया है, जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संस्थानों को समय–समय पर निर्देशित किया गया है तथा संस्थानों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यो पर भी रोक लगायी गयी है। परन्तु संस्थानों द्वारा शपथ पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सम्बन्धित शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने हेतु वचनबद्ध किया जाता है, जिस पर छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय संस्थान पर लगायी गयी रोक हटाने हेतु विवश रहता है। किन्तु संस्थानों द्वारा शपथपत्र दिये जाने पर भी पूर्ण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नही कराया जाता है। अतः मा0 वित्त समिति से अनुरोध है कि ऐसे संस्थानों जिन पर सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि अन्य शुल्क बकाया है, पर प्रति दिवस रू0 1000/– का अर्थदंड तथा बकाया धनराशि पर साधारण वार्षिक ब्याज दर (Simple Interest) अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। मा0 वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत सर्वसम्माति से सम्बद्ध संस्थानों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के बाद सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क व अन्य शुल्क देयता बकाया रहने की स्थिति में शुल्क जमा करने में विलम्ब की प्रवृत्ति रोकने हेतु अन्तिम तिथि के बाद प्रति दिवस रू0 1000/– का अर्थदंड तथा बकाया धनराशि पर साधारण वार्षिक ब्याज दर (Simple Interest) अधिरोपित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 03	विश्वविद्यालय के सम्बद्ध के सम्बद्ध संस्थानों एवं 06 परिसर संस्थानों में शोध कार्यो को प्रोत्साहित किये जाने हेतु शोध प्रोत्साहन योजना (Research Incentive Scheme) लागू किये जाने हेतु एवं इस योजना अन्तर्गत	वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मे वर्तमान में 06 परिसर संस्थानों के साथ–साथ बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, फॉर्मेसी, मैनेजमेण्ट, लॉ,	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत चालू वित्तीय वर्ष हेतु (Research Incentive Scheme) शोध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रू0 05.00**

	चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 05.00 लाख एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 15.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	आर्किटैक्चर एवं होटल मैनेजमेण्ट आदि में बड़ी संख्या में शिक्षक सम्बद्ध संस्थानों में अध्यापन करा रहे हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को गति प्रदान करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने आवश्यक है। देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में वहां पर कार्यरत शिक्षकों व छात्रों में शोध को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते है। इस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा समग्रता से शोध कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शोध प्रोत्साहन योजना (Research Incentive Scheme) स्थापित की जाये। इस हेतु प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व परिसर संस्थानों मे निम्नानुसार शोध प्रोत्साहन योजना नियमित शिक्षकों व छात्रों हेतु स्थापित की जाये:– 01- SCI Unpaid Jurnals में विश्वविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित शोध पत्र हेतु प्रथम लेखक को रू0 5000/– द्वितीय लेखक को रू0 4000/– प्रति शोध पत्र दिया जाय। दो से अधिक लेखक होने की दशा में प्रथम लेखक के बाद द्वितीय लेखक हेतु अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि को समस्त लेखकों में द्वितीय लेखक सहित समान रूप से वितरित कर दिया जाय। 02- राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय के नाम के साथ पैटेंट होने की दशा में वैध पैटेंट धारकों को रू0 10000/– प्रति पैटेंट की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाय। यह धनराशि समस्त पैटेंट धारकों के मध्य समान रूप से वितरित की जाय। उक्त दोनों प्रोत्साहन धनराशियों हेतु प्रतिबन्ध यह है कि सन्दर्भित शोध	**लाख व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त योजना की समीक्षा कर आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

		कार्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध/परिसर संस्थान में हुआ हो तथा विश्वविद्यालय का नाम शोध पत्र/पैटेंट में होना अनिवार्य है। प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त करने हेतु अर्ह नियमित शिक्षकों व छात्रों को अपने संस्थान के निदेशक/प्रधानाचार्य के माध्यम से संस्तुति सहित समस्त विवरण देते हुये प्रकाशन के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा। किसी भी शोध पत्र/पैटेंट को एक बार प्रोत्साहन राशि वितरित किये जाने के बाद किसी अन्य प्रोत्साहन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अर्ह नहीं माना जायेगा। मा0 वित्त समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त पर विचार कर विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से शोध प्रोत्साहन योजना (Research Incentive Scheme) हेतु रू0 05 लाख का प्राविधान इस वित्तीय वर्ष में तथा रू0 15 लाख का प्राविधान अगले वित्तीय वर्ष में करने पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।	
बिन्दु संख्या 04	विश्वविद्यालय के शिक्षकों मे गुणवत्ता संबर्द्वन हेतु नियमित रूप से फैकल्टी डेवलपमैंट प्रोग्राम (एफ0डी0पी0) आयोजित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 50.00 लाख एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 100.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/परिसर संस्थानों में कार्यरत्त शिक्षकों की गुणवत्ता संबर्द्वन हेतु फैकल्टी डेवलेपमैंट प्रोग्राम (FDP) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संसाधनों से धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध/परिसर संस्थानों के शिक्षकों हेतु प्रस्तुत नियमावली के अनुसार (सलंग्नक–3) फैकल्टी डेवलेपमैंट प्रोग्राम (FDP) की स्वीकृति के साथ इस योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में रू0 10.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 05	विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेमिनार, सम्मेलन,FDP, Short Term Training Programe आदि में प्रतिभाग करने हेतु नीति	विश्वविद्यालय एवं परिसर संस्थानों में कार्यरत्त शिक्षकों को सेमिनार, सम्मेलन,FDP, Short Term Training Programe आदि में प्रतिभाग करने हेतु नीति बनाये	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं परिसर संस्थानों में कार्यरत्त शिक्षकों को सेमिनार, सम्मेलन,FDP,**

<table>
<tr><td></td><td>बनाये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>जाने की नितांत आवश्यकता है। इसमें होने वाला समस्त व्यय विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना प्रस्तावित है।</td><td>Short Term Training Programe में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रस्तावित नीति (सलंग्नक–4) के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>बिन्दु संख्या 06</td><td>मा0 उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ताओं की फीस दरों के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>मा0 वित्त समिति को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों पर विश्वविद्यालय के पक्ष को रखे जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आबद्ध किये जाने वाले अधिवक्ताओं को उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 136 / XXXVI(1) / 2016–43एक(1) / 2003 दिनांक 10 मार्च, 2016 में निर्धारित निम्न्वत दरों अनुसार शुल्क निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत हैः–
<table>
<tr><th>क0 सं0</th><th>पदनाम</th><th>रिटेनर फीस (प्रतिमाह)</th><th>बहस हेतु प्रतिकार्य दिवस की दर से फीस</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अपर महाधिवक्ता</td><td>रू0 20000</td><td>रू0 12000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उप महाधिवक्ता</td><td>रू0 15000</td><td>रू0 6500</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता</td><td>रू0 10000</td><td>रू0 4500</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता</td><td>रू0 10000</td><td>रू0 4000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>स्थायी अधिवक्ता</td><td>रू0 7500</td><td>रू0 3000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>सहायक शासकीय अधिवक्ता</td><td>रू0 7000</td><td>रू0 3000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>वाद धारक</td><td>.................</td><td>रू0 2500</td></tr>
</table></td><td>इस सम्बन्ध में चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे वादों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या (111(1)/XXXVI-A-1/2020-43 एक (1) / 2023) दिनांक 18.03.2020 द्वारा अनुमोदित दरों को अंगीकृत करते हुऐ उनके आधार पर विश्वविद्यालय में भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।</td></tr>
<tr><td>बिन्दु संख्या 07</td><td>शासनादेश संख्या 564/2023/XLI-1-65/2022(E-38893) दिनांक 09.05.2023 द्वारा स्ववित्तपोषित के रूप में संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों (टी0एच0डी0सी0 / पिथौरागढ़ / गोपेश्वर / उत्तरकाशी / टनकपुर / महिला संस्थान)को विश्वविद्यालय परिसर संस्थान के रूप में संचालित किये जाने के उपरांत इन परिसर</td><td>उत्तराखण्ड शासन द्वारा 06 इंजी0 संस्थानों को विश्वविद्यालय परिसर संस्थान के रूप मे संचालित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। साथ ही उक्त संस्थानों को As is Where is basis के आधार पर विश्वविद्यालय को कतिपय शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन संचालित किया जाना प्राविधानित है। पूर्व से ही वी0मा0सि0भ0उ0प्रौ0वि0 के संचालन हेतु वेतन भत्तों आदि के लिये राज्य सरकार से कोई बजट</td><td>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत इस सम्बन्ध में प्रस्तावानुसार एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुरोध किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

	संस्थानों में शिक्षकों / कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन भत्ते / मानदेय आदि पर होने वाले व्यय की 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन तथा शेष 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्राविधानित नहीं है। विश्वविद्यालय का संचालन परीक्षा / सम्बद्धता शुल्क से प्राप्त आय से किया जाता है। उक्त 06 परिसर संस्थानों के अतिरिक्त व्यय भार में कमी हेतु परिसर संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन भत्ते / मानदेय आदि पर होने वाले व्यय की 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन तथा शेष 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	

अंत में वित्त समिति की 22वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(बिक्रम सिंह जंतवाल)
सदस्य सचिव /वित्त नियंत्रक
वीर माधों सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, देहरादून।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव,
वीर माधों सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, देहरादून।

(डॉ0 वी0 के0 पटेल)
परीक्षा नियंत्रक
वीर माधों सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, देहरादून।

(मीना तिवारी)
सेवानिवृत प्रमुख सचिव न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(डॉ0 डी0 पी0 गैरोला)
सेवानिवृत प्रमुख सचिव न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव ,न्याय विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उपसचिव तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(दीप्ती मिश्रा)
उपसचिव वित्त
विभाग,उत्तराखण्ड शासन।

(प्रो0 ओंकार सिंह)
मा0 कुलपति / अध्यक्ष

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विष्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय–व्ययक : वर्ष 2023–24 हेतु (सप्लीमेन्ट्री बजट)

(धनराशि हजार रूपयों में)

संस्थान का नाम–इन्सटिट्यूट ऑफ टैक्नालाजी (बौन) उत्तरकाशी

अनुमानित प्राप्तियां 2023–24				अनुमानित व्यय 2023–24							
आय मदें	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरिक्षित अनुमान	कुल अनुमानित प्राप्तियां	व्यय मदें	अनुमोदित बजट 2023–24	वास्तविक व्यय माह नवम्बर 2023 तक	अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवशेष (6-7)	शेष माहो का अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (7+9)	शेष माहो हेतु बजट की अनुमानित मांग	शेष माहो हेतु सप्लीमेन्ट्री बजट प्रस्तावित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब्याज से प्राप्तियां	25	25	50	वेतन /भत्तों पर व्यय	15000	2104	12896	3700	5804	0	0
कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क	–	–	–	कार्यालय व्यय	1000	360	640	640	1000	0	0
जमानतें /जमायें	–	–	–	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रष्न पत्र	0	0	0	0	0	0	0
षोध छात्रों से प्राप्तियां	–	–	–	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	0	0	0	0	0	0	0
छात्र कल्याण षुल्क	–	–	–	मूल्यांकन संबंधी व्यय	0	0	0	0	0	0	0
संबद्धता षुल्क	–	–	–	विकास मदों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	100	0	100	100	100	0	0
विष्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	–	–	–	यात्रा व्यय	400	0	400	400	400	0	0
षिक्षण षुल्क की प्राप्तियां	–	7200	7200	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	100	0	100	100	100	0	0
अन्य प्राप्तियां	1	1	2	किराया उपषुल्क/कर/विद्युत देय	1000	1000	0	3000	4000	3000	3000
राजकीय सहायता	–	–	–	वाहनों का अनुरक्षण/क्रय	500	0	500	500	500	0	0
	–	–	–	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	30000	1629	28371	28371	30000	0	0
				भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	4000	1027	2973	20573	21600	17600	17600
कुल योग	**26**	**7226**	**7252**	**कुल योग**	**52100**	**6120**	**45980**	**57384**	**63504**	**20600**	**20600**

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय–व्ययक : वर्ष 2023–24 हेतु (सप्लीमेन्ट्री बजट)

(धनराशि हजार रूपयों में)

संस्थान का नाम–नन्ही परी सीमान्त इन्सटिट्यूट आफ टैक्नोलाजी पिथौरागढ।

अनुमानित प्राप्तियां 2023–24				अनुमानित व्यय 2023–24							
आय मदें	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरिक्षित अनुमान	कुल अनुमानित प्राप्तियां	व्यय मदें	अनुमोदित बजट 2023–24	वास्तविक व्यय माह नवम्बर 2023 तक	अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवशेष (6-7)	शेष माहो का अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (7+9)	शेष माहो हेतु बजट की अनुमानित मांग	शेष माहो हेतु सप्लीमेन्ट्री बजट प्रस्तावित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब्याज से प्राप्तियां	–	–	–	वेतन /भत्तों पर व्यय	20000	4814	15186	440	5254	0	0
कालेजों से प्राप्त विकासं षुल्क	–	–	–	कार्यालय व्यय	500	63	437	100	163	0	0
जमानतें /जमायें	–	–	–	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रष्न पत्र	—	0	0	74	74	74	0
षोध छात्रों से प्राप्तियां	–	–	–	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	—	0	0	222	222	222	0
छात्र कल्याण षुल्क	–	–	–	मूल्यांकन संबंधी व्यय	—	0	0	0	0	0	0
संबद्धता षुल्क	–	–	–	विकास मदों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	350	0	350	780	780	430	0
विष्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	–	–	–	यात्रा व्यय	150	38	112	482	520	370	0
षिक्षण षुल्क की प्राप्तियां	9015	20045	29060	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	20	0	20	40	40	20	0
अन्य प्राप्तियां	-	-	-	किराया उपषुल्क/कर/विद्युत देय	250	43	207	207	250	0	0
राजकीय सहायता	–	–	–	वाहनों का अनुरक्षण/क्रय	150	60	90	360	420	270	0
	–	–	–	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	20	0	20	250	250	230	0
	–	–	–	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	200	0	200	660	660	460	0
कुल योग	**9015**	**20045**	**29060**	**कुल योग**	**21640**	**5018**	**16622**	**3615**	**8633**	**2076**	**0**

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय–व्ययक : वर्ष 2023–24 हेतु (सप्लीमेन्ट्री बजट)

(धनराशि हजार रूपयों में)

संस्थान का नाम–इन्सटिट्यूट आफ टैक्नोलाजी गौपेश्वर।

अनुमानित प्राप्तियां 2023–24				अनुमानित व्यय 2023–24							
आय मदें	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरिक्षित अनुमान	कुल अनुमानित प्राप्तियां	व्यय मदें	अनुमोदित बजट 2023–24	वास्तविक व्यय माह नवम्बर 2023 तक	अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवशेष (6-7)	शेष माहो का अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (7+9)	शेष माहो हेतु बजट की अनुमानित मांग	शेष माहो हेतु सप्लीमेन्ट्री बजट प्रस्तावित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब्याज से प्राप्तियां	–	–	–	वेतन /भत्तों पर व्यय	23000	14012	8988	9233	23245	1000	0
कालेजों से प्राप्त विकास षुल्क	–	–	–	कार्यालय व्यय	1000	759	241	1500	2259	500	0
जमानतें /जमायें	–	–	–	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रष्न पत्र	–	0	0	0	0	0	0
षोध छात्रों से प्राप्तियां	–	–	–	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	–	0	0	0	0	0	0
छात्र कल्याण षुल्क	–	–	–	मूल्यांकन संबंधी व्यय	–	0	0	0	0	0	0
संबद्धता षुल्क	–	–	–	विकास मदों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	400	715	-315	400	1115	0	0
विष्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	–	–	–	यात्रा व्यय	70	37	33	200	237	130	0
षिक्षण षुल्क की प्राप्तियां	–	–	38860	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	20	0	20	20	20	80	0
अन्य प्राप्तियां	–	–	–	किराया उपषुल्क/कर/विद्युत देय	600	318	282	0	318	0	0
राजकीय सहायता	–	–	–	वाहनों का अनुरक्षण/क्रय	372	208	164	1550	1758	1178	0
	–	–	–	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	0	0	0	10000	10000	10000	0
	–	–	–	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	0	0	0	2000	2000	2000	0
कुल योग	0	0	38860	**कुल योग**	25462	16049	9413	24903	40952	14888	0

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय–व्ययक : वर्ष 2023–24 हेतु (सप्लीमेन्ट्री बजट)

(धनराशि हजार रूपयों में)

संस्थान का नाम–डा0ए0पी0जे0ए0के0आई0टी0 टनकपुर।

अनुमानित प्राप्तियां 2023–24				अनुमानित व्यय 2023–24							
आय मदें	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरिक्षित अनुमान	कुल अनुमानित प्राप्तियां	व्यय मदें	अनुमोदित बजट 2023–24	वास्तविक व्यय माह नवम्बर 2023 तक	अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवशेष (6-7)	शेष माहो का अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (7+9)	शेष माहो हेतु बजट की अनुमानित मांग	शेष माहो हेतु सप्लीमेन्ट्री बजट प्रस्तावित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब्याज से प्राप्तियां	–	–	–	वेतन /भत्तों पर व्यय	20000	2192	17808	7000	9192	0	0
कालेजों से प्राप्त विकास षुल्क	–	–	–	कार्यालय व्यय	1000	107	893	893	1000	0	0
जमानतें /जमायें	–	–	–	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रष्न पत्र	–	50	-50	124	174	124	50
षोध छात्रों से प्राप्तियां	–	–	–	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	–	200	-200	0	200	200	200
छात्र कल्याण षुल्क	–	–	–	मूल्यांकन संबंधी व्यय	–	0	0	0		0	0
संबद्धता षुल्क	–	–	–	विकास मदों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	400	0	400	1700	1700	1300	0
विष्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	–	–	–	यात्रा व्यय	400	20	380	810	830	430	0
षिक्षण षुल्क की प्राप्तियां	10249	21491	31740	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	50	10	40	30	40	0	0
अन्य प्राप्तियां	-	–	-	किराया उपषुल्क/कर/विद्युत देय	1000	185	815	815	1000	0	0
राजकीय सहायता	–	–	–	वाहनों का अनुरक्षण/क्रय	550	70	480	480	550	0	0
	–	–	–	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	500	0	500	500	500	0	0
	–	–	–	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	200	0	200	200	200	0	0
कुल योग	**10249**	**21491**	**31740**	**कुल योग**	**24100**	**2834**	**21266**	**12552**	**15386**	**2054**	**250**

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय–व्ययक : वर्ष 2023–24 हेतु (सप्लीमेन्ट्री बजट)

(धनराशि हजार रूपयों में)

संस्थान का नाम–महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून।

अनुमानित प्राप्तियां 2023–24				अनुमानित व्यय 2023–24							
आय मदें	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरिक्षित अनुमान	कुल अनुमानित प्राप्तियां	व्यय मदें	अनुमोदित बजट 2023–24	वास्तविक व्यय माह नवम्बर 2023 तक	अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवशेष (6-7)	शेष माहो का अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (7+9)	शेष माहो हेतु बजट की अनुमानित मांग	शेष माहो हेतु सप्लीमेन्ट्री बजट प्रस्तावित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब्याज से प्राप्तियां	–	–	–	वेतन /भत्तों पर व्यय	30000	6972	23028	11056	18028	0	0
कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क	–	–	–	कार्यालय व्यय	1500	271	1229	55	326	0	0
जमानतें /जमायें	–	–	–	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रष्न पत्र	–	0	0	25	25	25	0
षोध छात्रों से प्राप्तियां	–	–	–	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	–	18	-18	100	118	118	18
छात्र कल्याण षुल्क	–	–	–	मूल्यांकन संबंधी व्यय	–	0	0	0	0	0	0
संबद्धता षुल्क	–	–	–	विकास मदों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	200	73	127	4234	4307	4107	0
विष्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	–	–	–	यात्रा व्यय	100	0	100	100	100	0	0
षिक्षण षुल्क की प्राप्तियां	17380	31070	48450	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	50	4	46	46	50	0	0
अन्य प्राप्तियां	–	–	–	किराया उपषुल्क/कर/विद्युत देय	200	0	200	200	200	0	0
राजकीय सहायता	–	–	–	वाहनों का अनुरक्षण/क्रय	150	29	121	121	150	0	0
	–	–	–	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण सरकार से प्राप्त ग्रान्ट उपकरणो पर व्यय	5000 10000	5701	9299	9299	15000	0	0
	–	–	–	छात्र कल्याण एंव सहायता	0	5	-5	330	335	335	5
	–	–	–	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**17380**	**31070**	**48450**	**कुल योग**	**47200**	**13073**	**34127**	**25566**	**38639**	**4585**	**23**

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय–व्ययक : वर्ष 2023–24 हेतु (सप्लीमेन्ट्री बजट)

(धनराशि हजार रूपयों में)

संस्थान का नाम–टी0एच0डी0सी0 टिहरी गढवाल।

अनुमानित प्राप्तियां 2023–24				अनुमानित व्यय 2023–24							
आय मदें	वास्तविक प्राप्तियां	पुनरिक्षित अनुमान	कुल अनुमानित प्राप्तियां	व्यय मदें	अनुमोदित बजट 2023–24	वास्तविक व्यय माह नवम्बर 2023 तक	अनुमोदित बजट के सापेक्ष अवशेष (6-7)	शेष माहो का अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (7+9)	शेष माहो हेतु बजट की अनुमानित मांग	शेष माहो हेतु सप्लीमेन्ट्री बजट प्रस्तावित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब्याज से प्राप्तियां	–	–	–	वेतन /भत्तों पर व्यय	42500	26154	16346	13800	39954	0	0
कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क	–	–	–	कार्यालय व्यय	1500	955	545	2090	3045	1545	0
जमानतें /जमायें	–	–	–	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रष्न पत्र	—	0	0	200	200	0	0
षोध छात्रों से प्राप्तियां	–	–	–	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	—	0	0	400	400	0	0
छात्र कल्याण शुल्क	–	–	–	मूल्यांकन संबंधी व्यय	—	0	0	0	0	0	0
संबद्धता शुल्क	–	–	–	विकास मदों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	1000	668	332	2832	3500	2500	0
विष्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	–	–	–	यात्रा व्यय	200	242	-42	392	634	392	0
षिक्षण शुल्क की प्राप्तियां	13236	39744	52980	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	50	48	2	202	250	200	0
अन्य प्राप्तियां	–	–	–	किराया उपषुल्क/कर/विद्युत देय	1250	706	544	1844	2550	1300	0
राजकीय सहायता	–	–	–	वाहनों का अनुरक्षण/क्रय	300	376	-76	1376	1752	1376	0
	–	–	–	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	1500	3065	-1135	4933	7998	3800	0
	–	–	–	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	0	0	0	7000	7000	7000	0
कुल योग	**13236**	**39744**	**52980**	**कुल योग**	**48300**	**32214**	**16516**	**35069**	**67283**	**18113**	**0**